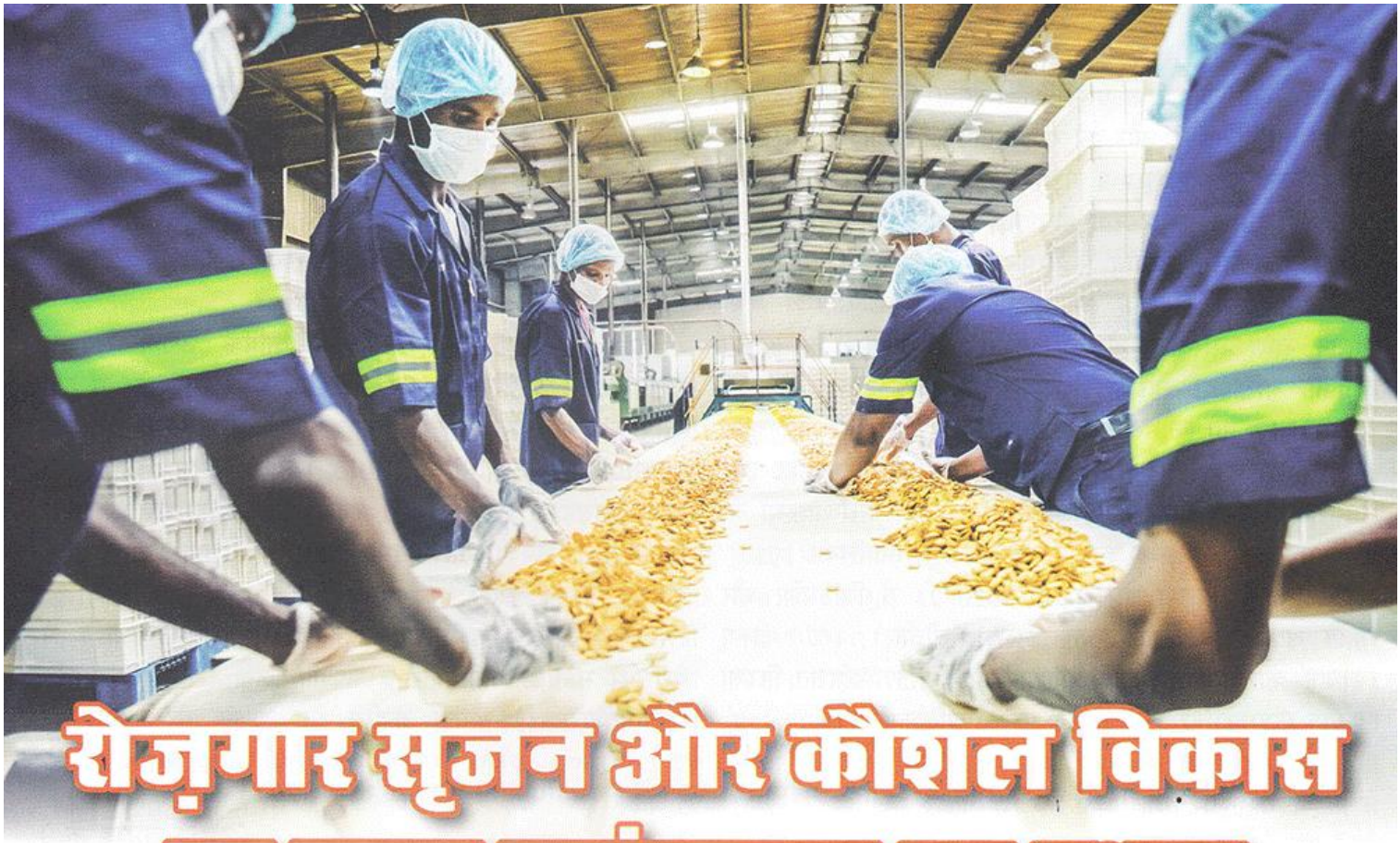

रोज़गार सृजन और कौशल विकास पर खाद्य प्रसंस्करण का प्रभाव

शाजी के वी | अध्यक्ष, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)। ईमेल: chairmansectt@nabard.org

अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, अमृत काल में भारत की परिकल्पना के अंतर्गत हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि में बड़े बदलाव करने होंगे। कृषि के भीतर विकास प्रतिमान को कृषि से कृषि व्यवसाय में बदलने की आवश्यकता है, जिसमें कृषि पर रोज़गार की निर्भरता को कौशल विकास और उभरते कृषि व्यवसाय क्षेत्र में समायोजन द्वारा उपयुक्त रूप से समाधान करके किया जाना चाहिए। इस कृषि परिवर्तन मार्ग के लिए खाद्य प्रसंस्करण उप-क्षेत्र केंद्र में होगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में नाबार्ड सबसे आगे रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हरित क्रांति की बदौलत, पिछले पांच दशकों (1970 से 2020 के दशक) में, भारत खाद्य उत्पादन के मामले में कमी की स्थिति से अधिशेष की स्थिति में आ गया है। भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक कृषि में दालों और दूध में यह पहले स्थान पर है और सब्जियों, फलों, गेहूं और चावल में दूसरे स्थान पर है तथा अनाज, अंडे में तीसरे स्थान पर है। कच्चे माल के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि के साथ, हाल के वर्षों में भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपनी उच्च वृद्धि के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हर साल विश्व खाद्य मांग में इसका योगदान बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारत अपने कृषि उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम प्रसंस्करण कर रहा है। अत: प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत कर रहा है और इस क्षेत्र में व्यापक निवेश क्षमता को भी बढ़ा रहा है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और यह क्षेत्र रोज़गार सृजन की भी अपार संभावनाएं प्रदान करता है। इस पृष्ठभूमि में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत एक

'सूर्योदय क्षेत्र' और एक प्रमुख प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है और इसे राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों के माध्यम से व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति और भूमिका

क. सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

वर्ष 2020-21 तक समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 8.38 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में (2011-12 की कीमतों पर) लगभग 4.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार और निवेश में अपने योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में भी उभरा है (तालिका 1)।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने वर्ष 2020-21 में विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में संवर्धित सकल मूल्य (जीवीए), (ग्रॉस वैल्यू एडेड) का क्रमशः 10.54 प्रतिशत और 11.57 प्रतिशत हिस्सा बनाया (2011-12 की कीमतों पर) (तालिका 2)।

हालांकि भारत में प्रसंस्कृत खाद्य और रेडी-टू-ईट खाद्य की मांग बढ़ रही है, समग्र जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी केवल 1.88 प्रतिशत (2020-21) रही है, जबकि विनिर्माण की हिस्सेदारी 17.86 प्रतिशत और कृषि में जीवीए की हिस्सेदारी 16.26 प्रतिशत है (तालिका 3)।

ख. रोज़गार सृजन

2019-20 के लिए नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 20.32 लाख थी। इसके अलावा, एनएसएसओ के 73वें दौर, 2015-16 के अनुसार अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने 51.11 लाख श्रमिकों को रोज़गार प्रदान किया तथा अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार का 14.18 प्रतिशत हिस्सा इसका था (तालिका 4)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने देश भर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) (पीएमकेएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन

तालिका 1: स्थिर कीमतों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) द्वारा जीवीए (2011-12)

(लाख करोड़ रु.)

क्र.	आर्थिक गतिविधि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	जीवीए-अखिल भारतीय	85.46	90.64	97.12	104.92	113.28	120.34	127.34	132.19	125.85
2	जीवीए-विनिर्माण	14.87	15.61	16.84	19.04	20.55	22.09	23.29	22.61	22.48
3	जीवीए-कृषि, वानिकी, मत्स्य-पालन	15.24	16.09	16.06	16.16	17.26	18.40	18.79	19.82	20.48
4	जीवीए-एफपीआई	1.30	1.30	1.34	1.61	1.79	1.93	2.36	2.26	2.37

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2: विनिर्माण और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए में एफपीआई का हिस्सा (प्रतिशत)

क्र.	आर्थिक गतिविधि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	जीवीए-विनिर्माण	8.74	8.33	7.96	8.46	8.71	8.74	10.13	10.00	10.54
2	जीवीए-कृषि, वानिकी और मत्स्य-पालन	8.53	8.08	8.34	9.96	10.37	10.49	12.56	11.40	11.57

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 3: समग्र जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)

क्र.	आर्थिक गतिविधि	2018-19	2019-20	2020-21
1	जीवीए-एफपीआई	1.85	1.71	1.88
2	जीवीए-विनिर्माण	18.29	17.10	17.86
3	जीवीए-कृषि और संबद्ध क्षेत्र	14.76	14.99	16.26

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, एमओएफपीआई, भारत सरकार

तालिका 4: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की संख्या

(लाख व्यक्ति)

क्षेत्र	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग*	सभी उद्योग	(प्रतिशत) एफपी क्षेत्र का हिस्सा
पंजीकृत (2019-2020)	20.32 लाख	166.21 लाख	12.22
असंगठित	51.11 लाख	360.41 लाख	14.18

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट-वित्त वर्ष 2022-23, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ खंड शामिल हैं।

के माध्यम से खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा, बढ़ावा देने हेतु प्रदान की है। इस योजना के परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसरों के सृजन, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास और वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रासंगिक घटकों के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं। वर्ष 2020 में मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा पीएमकेएसवाई के तहत एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के मूल्यांकन अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि प्रत्येक परियोजना के परिणामस्वरूप लगभग 600 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। यह अनुमान है कि पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 9.69 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं।

इसी तरह, आत्मनिर्भर अभियान के तहत, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने इस क्षेत्र में 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहित करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम नामक (पीएमएफएमई) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की, इस योजना के तहत 2020-2025 की अवधि के दौरान कुल परिव्यय 10,000 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिककरण को बढ़ावा देना है। यह सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पहली सरकारी योजना है और इसका लक्ष्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और 'एक जिला एक उत्पाद' के दृष्टिकोण को अपनाकर 2 लाख उद्यमों को लाभान्वित करना है। योजना की शुरुआत के बाद से अब तक व्यक्तिगत लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को पीएमएफएमई योजना के क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत कुल 65,094 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, 2.3 लाख एसएचजी सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए बीज पूंजी सहायता के रूप में 771 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

ग. कौशल विकास पहल

भारत में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में पहचाना गया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, एमओएफपीआई खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई), सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) और एमओएफपीआई के तहत एक संस्थान - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि इसे अपने अधिदेश को प्राप्त करने में नियमित रूप से मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। एफआईसीएसआई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, देश में उद्योग के जिन 11 प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उप-क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, वे क्रमशः इस प्रकार हैं, ब्रेड और बेकरी उत्पाद; कोल्ड चेन; डेयरी उत्पाद; मछली और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण; एफ एण्ड वी प्रसंस्करण; मांस और मुर्गी पालन प्रसंस्करण; पिसाई कार्य (अनाज और तेलवाले बीज); पेय पदार्थ (चाय और कॉफी) रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी टू कूक (आरटीई) उत्पाद; सोया प्रसंस्करण और मसाले तथा तैयार मसाले जो 2021-30

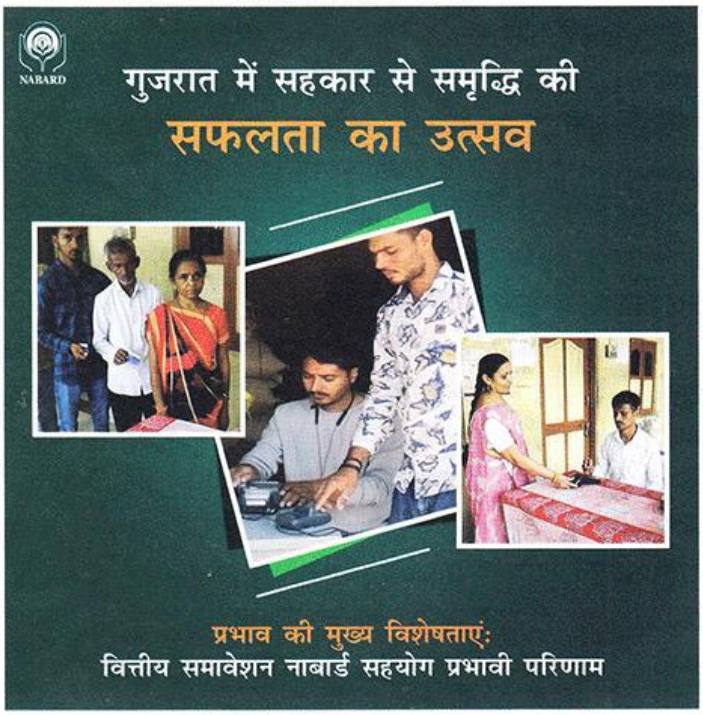

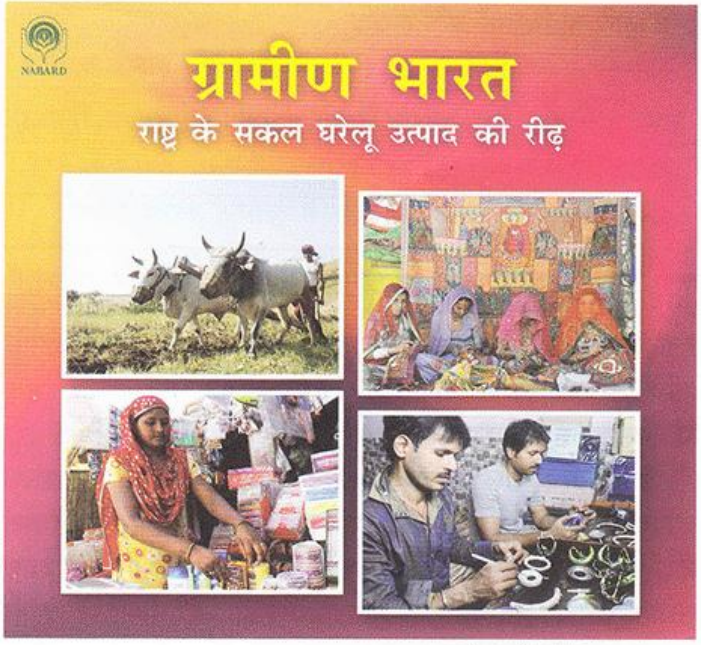

के दौरान लगभग 13.4 लाख होगा।

तदनुसार, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कौशल विकास की पहल की है। यह इस क्षेत्र में एसएससी को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) का सत्यापन पूरा किया जा सके, जो तैयार कर लिया गया है। यह एनआईएफटीइएम के माध्यम से पाठ्यक्रम के विकास में भी सहायता कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण अवसंरचना में नाबार्ड की भूमिका

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में नाबार्ड सबसे आगे रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय, नाबार्ड दो महत्वपूर्ण निधियों का प्रबंधन कर रहा है, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) और वेयरहाउस अवसंरचना निधि, जिसे भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समर्थन करने और देश में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए भंडारगृह अवसंरचना के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।

क. खाद्य प्रसंस्करण निधि

भारत सरकार ने 2014-15 के दौरान नाबार्ड में 2,000 करोड़ की राशि के साथ खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) की स्थापना की। जिसका उद्देश्य भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा अधिसूचित किए गए निर्दिष्ट खाद्य पार्कों (डीएफपी) की स्थापना और उनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सार्वजनिक और निजी कार्यकर्ताओं को किफायती ऋण प्रदान करना है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, नाबार्ड ने 14 मेगा फूड पार्क (एमएफपी), 03 औद्योगिक पार्क, 09 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) और 15 व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1191.57 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया है, और संचयी संवितरण 768.77 करोड़ रुपये है।

1. अपेक्षित क्षमता निर्माण

14 मेगा फूड पार्क (एमएफपी), 03 औद्योगिक पार्क और 09 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) परियोजनाओं में लगभग 1370.03 एकड़ क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जो केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) के रूप में कार्य करेंगे। एमएफपी परियोजनाओं के 14 सीपीसी को 45 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) और कई संग्रह केंद्रों (सीसी) द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिन्हें संबंधित मेगा फूड पार्कों के जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Zone) में उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र मेगा फूड पार्कों में स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा किसानों से सीधे कृषि उपज प्राप्त करने में मदद करेंगे, जिससे उपयोगकर्ता उद्योग के लिए सीधे विपणन पहुंच बनाई जा सकेगी। ये परियोजनाएं, जब पूरी हो जाएंगी, तो विविध और बहुत जरूरी कोर और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा प्रदान कर पायेंगी (चित्र 1)।

2. प्राप्त उपलब्धि

खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत, सभी प्रकार की पात्र गतिविधियों, जैसे: मेगा फूड पार्क, औद्योगिक पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और व्यक्तिगत इकाइयों; और विभिन्न उधार लेने वाली संस्थाओं, जैसे राज्य सरकारों, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं, एसपीवी, संघों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारी को सावधि ऋण दिया गया है। भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

चित्र-1

को मंजूरी दी है, जिसमें छह वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 तक) की अवधि में 10,900 करोड़ का बजटीय परिव्यय शामिल है। यह अनिवार्य रूप से, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। निर्दिष्ट खाद्य पार्क (डीएफपी) में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। संसाधन संपन्न राज्यों के राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय जैसी राज्य स्वामित्व वाली संस्थाएं जिलों में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) स्थापित करने के प्रस्ताव लेकर आ रही हैं। राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रबंधित एपीसी या किसी अन्य नामित खाद्य पार्क के लिए वित्त के माध्यम से उनकी बुनियादी ढांचा योजनाओं का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार के साथ गठजोड़ करने का एक अच्छा अवसर है। पूर्ण हो चुके डीएफपी में आने वाली व्यक्तिगत इकाइयों का वित्तपोषण, विशेष रूप से वे जिन्हें नाबार्ड द्वारा समर्थन दिया गया है, क्रमशः डीएफपी और व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों दोनों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।

ख. भंडारगृह अवसंरचना निधि

भारत सरकार ने 2013-14 में 5,000 करोड़ के कोष के साथ एक समर्पित वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (डब्ल्यूआईएफ) की घोषणा की। डब्ल्यूआईएफ कोष को 2014-15 में 5,000 करोड़ रु. के अतिरिक्त आवंटन के साथ बढ़ाया गया था। इस कोष की स्थापना वित्तीय सहायता के माध्यम से वैज्ञानिक गोदाम क्षमता के निर्माण के लिए राज्य सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों और कॉर्पोरेट्स का समर्थन करने के लिए की गई थी। एपीएमसी में भंडारण अवसंरचना के निर्माण को बाद में डब्ल्यूआईएफ के तहत सहायता के लिए पात्र गतिविधि के रूप में शामिल किया गया।

इस कोष में, राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों और निजी क्षेत्र को शुष्क गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्त पोषण की परिकल्पना की गई है। आज की तारीख में, डब्ल्यूआईएफ के तहत कोष पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और देश भर में कुल 8,161 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 13.74 मिलियन मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। निर्मित क्षमता के संदर्भ में, देश में कुल 9.96 मिलियन मीट्रिक टन वैज्ञानिक भंडारण बनाया गया है।

देश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत भंडारण का बहुमत है। उत्तरी क्षेत्र, प्रमुख खरीद क्षेत्र होने के कारण, बड़े आकार के भंडारण ढांचे के लिए जिम्मेदार है, जबकि गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में गांव स्तर पर छोटे आकार के भंडारण ढांचे को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च, 2024 तक, कुल 9.96 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का प्रचालन किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न भंडारण संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) के छोटे 100 मीट्रिक टन फार्म गेट गोदामों से लेकर थोक भंडारण के लिए अत्याधुनिक 50,000 मीट्रिक टन साइलो शामिल हैं।

असम के चाय उद्योग में तकनीकी क्रांति

जलवायु अनुकूल चाय की खेती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित कीट प्रबंधन परियोजना के माध्यम से 64 सेऊज ज्योति टी फेडरेशन उत्पादक स्वचालित मौसम स्टेशनों और कीट पहचान प्रणालियों तक पहुंच सकते हैं। इस अभूतपूर्व पहल से उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमानित निवेश क्षमता

भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाज़ार 2023 में 28,027.5 बिलियन तक पहुंच गया और यह दुनिया में सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है और इसका उत्पादन 2032 तक 61,327.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2024-2032 के बीच 8.8 प्रतिशत की अनुमानित बाज़ार वृद्धि दर दर्शाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत लगभग 100 लाख करोड़ के नियोजित बुनियादी ढांचे के खर्च और वित्त वर्ष 2025-2026 तक 4600 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ पीएमकेएसवाई और वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की समयावधि में फैले 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएमएफएमई जैसी नई पहलों ने इस क्षेत्र को अत्यंत प्रोत्साहित किया है जिसकी वास्तव में जरूरत थी।

इसके अलावा, भारत सरकार ने कई नीतिगत पहल की हैं, जैसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को छूट देना; खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना; कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए जीएसटी कम करना; और 0 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के निचले कर स्लैब में विभिन्न अध्याय शीर्षों और उप-शीर्षों के तहत 71.7 प्रतिशत से अधिक खाद्य उत्पादों को शामिल करना। ये सभी इस क्षेत्र में आवश्यक निजी निवेश को आकर्षित करेंगे। इस क्षेत्र ने अप्रैल 2014 और मार्च 2023 के बीच 6.18 बिलियन डॉलर का एफडीआई

इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, और भविष्य में यह और भी बढ़ने वाला है।

भावी दृष्टिकोण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (ग्रॉस वैल्यू एडेड) वर्ष 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.08 लाख करोड़ हो गया है। कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 25.6 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कुल सकल मूल्यवर्धन में केवल 1.8 प्रतिशत का योगदान देता है। यह छह साल की औसत वार्षिक दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में योगदान चौगुना होकर ~7.2 प्रतिशत होना चाहिए। 2047 तक 10.4 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) सीएजीआर के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए भविष्य की कार्य-नीतियों को सरेखित करने की आवश्यकता है। भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाकर इसे हासिल किया जा सकता है। इस नीति का ध्यान 2047 तक कम से कम पांच मूल्य श्रृंखलाओं (प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत मछली और समुद्री भोजन, मांस, डेयरी उत्पाद, मुर्गी-पालन और अंडे) के लिए वैश्विक व्यापार में भारत को बाज़ार का अग्रणी लीडर बनाने पर होना चाहिए। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना और कार्यबल और उद्योग के बीच मौजूदा कौशल अंतराल को दूर करना भी जरूरी है। ❑

(लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं, संस्था यानी नाबार्ड के नहीं)

संदर्भ

1. ग्रांट थॉर्नटन (2024), 2047 तक विकसित भारत: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (2022-23), वार्षिक रिपोर्ट
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (2021), भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन
4. नाबार्ड (2022-23), वार्षिक रिपोर्ट
5. नैबकॉन्स (2015), भारत में कोल्डचेन क्षमता का व्यापक मूल्यांकन
6. पीआईबी (2023), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोज़गार सृजन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, 21 जुलाई 2023
7. पीआईबी (2023), वर्ष के अंत की समीक्षा 2023 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियां और पहल, 28 दिसंबर 2023
8. पीआईबी (2024), खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, 06 फरवरी 2024